ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا
يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ
أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا
تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩
فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ
فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن
يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ
٢٣٠ وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ
بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖۚ وَلَا تُمۡسِكُوهُنَّ ضِرَارٗا
لِّتَعۡتَدُواْۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ
ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوٗاۚ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَمَآ أَنزَلَ
عَلَيۡكُم مِّنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَٱلۡحِكۡمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ
وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ ٢٣١

Theme	
Laws relating to divorce. Commandment of honourable and kind treatment to divorced women.	तलाक़ से मुतअल्लिक़ क़वानीन। मुतल्लक़ा औरतों के साथ इज़्ज़त और नरमी से पेश आने का हुक्म।
Tarjumani	

The pronouncement of revocable divorce is only allowed twice: then, she should be allowed to stay with honor or let go with kindness. It is not lawful for you to take anything back which you have given them except when both parties fear that they may not be able to follow the limits set by Allah; then, if you fear that they both will not be able to keep the limits of Allah, there is no blame, if, by mutual agreement the wife compensates the husband to obtain divorce. These are the limits set by Allah; do not transgress them, and those who transgress the limits of Allah are the wrongdoers. So, if a husband divorces his wife three times, it is not lawful for him to remarry her until after she has married another man. In case he divorces her, there is no blame on either of them if they reunite in marriage, provided they feel that they can keep the limits of Allah. These are the limits of Allah which He	तलाक़ दो बार है	फिर या तो सीधी तरह औरत को रोक लिया जाए या भले तरीक़े से उसको रुखसत कर दिया जाए	और रुखसत करते हुए ऐसा करना तुम्हारे लिए जाइज नहीं है कि जो कुछ तुम उन्हें दे चुके हो, उसमें से कुछ वापस ले लो	अलबत्ता यह सूरत मुस्तसना है कि जौजैन को अल्लाह के हुदूद पर कायम न रह सकने का अंदेशा हो	ऐसी सूरत में अगर तुम्हें यह खौफ़ हो कि वे दोनों हुदूदे-इलाही पर क़ायम न रहेंगे, तो उन दोनों के दरमियान यह मामला हो जाने में मुजाइका नहीं कि औरत अपने शौहर को कुछ मुआवज़ा देकर आलाहिदगी हासिल कर ले	ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद हैं, इनसे तजावुज़ न करे	और जो लोग हुदूदे-इलाही से तजावुज़ करें वही ज़ालिम हैं	फिर अगर (दो बार तलाक देने के बाद शौहर ने औरत को तीसरी बार) तलाक़ दे दी, तो वह औरत फिर उसके लिए हलाल न होगी	इल्ला यह कि उसका निकाह किसी दूसरे शख्त से हो और वह उसे तलाक़ दे दे , तब अगर पहला शौहर और यह औरत दोनों यह ख़याल करें कि हुदूदे-इलाही पर कायम रहेंगे, तो उनके लिए एक-दूसरे की तरफ़

makes clear to the people of under-standing. When you divorce women and they have reached the end of their waiting period (Iddat) either allow them to stay with honor or let them go with kindness; but you should not retain them to harm them or to take undue advantage; if anyone does that, he wrongs his own soul. Do not take Allah's revelations as a joke. Remember the favors of Allah upon you and the fact that He sent down the Book and Wisdom for your guidance. Fear Allah and know that Allah has knowledge of everything.	रुजूअ कर लेने में कोई मुजाइका नहीं	यह अल्लाह की मुक़र्रर करदा हदें हैं, जिन्हें वह उन लोगों की हिदायत के लिए वाज़ेह कर रहा है, जो (उसकी हदें को तोड़ने अंजाम) जानते हैं	और जब तुम औरतों को तलाक दे दो और उनकी इद्दत पूरी होने को आ जाए, तो या भले तरीक़े से उन्हें रोक लो या भले तरीक़े से रुखसत कर दो	महज़ सताने की खातिर उन्हें न रोके रखना कि यह ज़्यादती होगी और जो ऐसा करेगा, वह दरहकीकत आप अपने ही ऊपर ज़ुल्म करेगा	अल्लाह की आयात का खेल न बनाओ	भूल न जाओ कि अल्लाह ने किस नेमते-उज़मा से तुम्हें सरफ़राज़ कीया है	वह तुम्हें नसीहत करता है कि जो किताब और हिकमत उसने तुमपर नाज़िल की है, उसका एहतिराम मलहूज़ रखो	अल्लाह से डरो और ख़ूब जान लो कि अल्लाह को हर बात की ख़बर हैं	
Tafsir	